राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मोतीलाल / जन्सी

तारीख हुक्म	488/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
16/3/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. अपीलांट उपस्थित रेस्पोन्डेन्टस अनुपस्थित रहे। अतः अधि. अपीलान्ट के निवेदन पर उनकी बहस अपील पर सुनी गयी। रेस्पो. को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायहित में एक अन्तिम अवसर दिया जाता है। बहस हेतु पत्रावली रेस्पो. के इन्तजार एवम् बहस हेतु अन्यथा आदेश हेतु दिनांक 19/3/2021 को पेश हो। [signature]	
19/3/21	अधिवक्ता [illegible] उपस्थित। अतः [illegible] कारण निरस्त [illegible] अनुसार दिनांक 26/3/21 को पेश हो। [initials]	[signature]
Naval [illegible] Respond 1,2,3		
26/3/21	अधि. अपीलान्ट / रेस्पो. उपस्थित पूर्व [illegible] दिनांक 01/4/21 को पेश. [initials]	
01/4/21	अधि. अपीलान्ट / रेस्पो. उपस्थित पूर्व आज्ञा की पालना होकर मिसल दिनांक 06/4/21 को पेश हो।	
06/04/21	पत्रावलीया प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उभयपक्षों के मध्य आपसी सहमती से राजीनामा हो गया था जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चूका था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक ही कर दिया गया था किन्तु उक्त राजीनामे के आधार पर निर्णय नही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक रूप से एवं अन्तिम रूप से प्रकरण का निर्णय कर दिया गया उक्त दोनों निर्णयों के विरुद्ध दो भिन्न-भिन्न अपने इस	N.R.C. अपीलान्ट; Naval Adv. 1,2,3; [signature]

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	402/2018	

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता उभयपक्ष ने इस न्यायालय के समक्ष भी आज उपस्थित होकर निवेदन किया कि पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार निर्णय हेतु सहमत है इसलिये पक्षकारान के मध्य विवाद एवं प्रकरणों के समाप्ति हेतु पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अत: निर्णय व डिक्री जैर अपीले निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

चूँकी प्रकरण की इस स्टेज पर उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रकरण के निस्तारण हेतु सहमत है अत: प्रकरण के गुणावगुण पर कोई परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर निर्णय व डिक्री जैर अपील क्रमशः दिनांक 30/11/2006 व 19/09/2007 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे पर पक्षकारान की सुनवाई कर राजीनामे को मध्य नजर रखते हुये पुन: निर्णय पारित करे। तदनुसार दोनों अपीले क्रमशः 402/2018 एवं 435/2018 निर्णित की जाती है।

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6/4/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर